न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 3/2016 जिला दौसा

अर्जुन सिंह पुत्र प्रताप सिंह , जाति राजपूत, निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा, तहसील व जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र प्रताप सिंह, जाति राजपूत, निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा , तहसील व जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 2.6.2015
बाबत नामांतरकरण संख्या 469 दिनांक 28.6.2013

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 29.1.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 2.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 131, 132, 133 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है. के खातेदार अर्जुन सिंह , हनुमान सिंह पि. प्रतापसिंह कौम राजपूत थे । खातेदारों में आपसी सहमति बंटवारे के आधार पर तहसीलदार दौसा के आदेश क्रमांकः भू.अ. /2013 /4054 दिनांक 27.6.2013 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 469 अर्जुन सिंह पुत्र प्रताप सिंह कौम राजपूत के नाम खसरा नम्बर 131/1 रकबा 1.71 एवं हनुमान सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम खसरा नम्बर 131 रकबा 0.04, 132 रकबा 0.04 एवं 133/2 रकबा 1.62 कुल किता 3 रकबा 1.70 का भरा गया जिसे तहसीलदार दौसा ने दिनांक 28.6.2013 को स्वीकृत कर दिया , जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट अर्जुन सिंह द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की, जो जिला कलक्टर दौसा ने अपीलान्ट के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.6.2015 से दिनांक 27.6.2013 को प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा आपसी सहमति तकासमा का नामांतरकरण भरकर वास्ते जॉच एवं तस्दीक हेतु प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का ने जॉच की कि मुताबिक आपसी सहमति तकासमा अंकन सही है , हस्ताक्षर किये

जाने पर रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं गिरदावर के आधार पर तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 28.6.2013 को नामांतरकरण तस्दीक किया गया । पक्षकारान में आपसी सहमति से बंटवारा करने पर खातेदारान की भूमि के बंटवारे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 469 दिनांक 28.6.2013 को नियमानुसार प्रक्रिया के अनुसार खोला जाना प्रतीत होने से तहसीलदार दौसा के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होना मानते हुये अपील खारिज की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.6.2013 यथावत रखा है ।

जिला कलक्टर दौसा के उक्त आदेश दिनांक 2.6.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 2.6.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की और से कोई हाजिर नहीं होने पर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

बहस के दौरान अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 0.04 है., 132 रकबा 0.04 है., 133 रकबा 3.30 है. कुल रकबा 11 है. के 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलान्ट व 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 है । अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 संयुक्त रूप से मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 हनुमान सिंह ने अपीलान्ट अर्जुन सिंह की जानकारी के बिना ही 100 रूपये का स्टाम्प पर मनमर्जी से तकासमा टाईप करवाकर पटवारी हल्का की मिली भगत व धोखे से अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये । अपीलान्ट को इसकी जानकारी होते ही अन्दर मियाद न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश करदी थी । उनका कहना था कि तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया था । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण विधिक तथ्यों एवं आपत्तियों , प्रश्नगत नामांतरकरण , पर विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित भूमि का विभाजन अपीलान्ट की सहमति के बिना एवं उसकी अनुपस्थिति में पटवारी व गिरदावर से मिलीभगत कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने करवाया है , जो मौके की स्थिति के सर्वथा विपरीत है । अपीलान्ट की भूमि पर आने जाने के लिये मार्ग भी सुलभ नहीं है । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि के विभाजन आदेश के विरूद्ध पृथक से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्रश्नगत नामांतरकरण त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 469 तहसीलदार दौसा ने दिनांक 28.6.2013 को पक्षकारान के आपसी सहमति से बंटवारे के आधार पर तस्दीक किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने भी प्रश्नगत नामांतरकरण को उचित एवं विधिसम्यक मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.6.2015 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान की आपसी सहमति से हुये बंटवारे के आधार पर तहसीलदार दौसा ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 469 दिनांक 28.6.2013 को अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार किया है तथा इसके खिलाफ अपीलान्ट की अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 2.6.2015 द्वारा दिनांक 27.6.2013 को प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा आपसी सहमति तकासमे का नामांतरकरण भरकर वास्ते जॉच एवं तस्दीक हेतु प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का की जॉच व हस्ताक्षर के आधार पर तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 28.6.2013 को तस्दीक नामांतरकरण पक्षकारान में आपसी सहमति से बंटवारा करने पर खातेदारान की भूमि के बंटवारे के आधार पर नियमानुसार प्रावधानों के अनुसार खोले जाने से अपील खारिज करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.6.2013 यथावत रखा है । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 हनुमान सिंह ने अपीलान्ट अर्जुन सिंह की जानकारी के बिना ही 100 रूपये का स्टाम्प पर मनमर्जी से तकासमा टाईप करवाकर पटवारी हल्का की मिलीभगत व धोखे से अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये । अपीलान्ट की भूमि पर आने जाने के लिये मार्ग भी सुलभ नहीं है तथा अपीलान्ट ने विवादित भूमि के विभाजन आदेश के विरूद्ध पृथक से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 469 तहसीलदार दौसा ने दिनांक 28.6.2013 को खातेदारों में आपसी सहमति बंटवारे के आधार पर तहसीलदार दौसा के आदेश क्रमांकः भू.अ./2013 /4054 दिनांक 27.6.2013 की पालना तस्दीक किया है । अपीलान्ट ने अपील मीमों में विभाजन आदेश के विरूद्ध पृथकशः सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चुनौती देना एवं अपील विचाराधीन होने का उल्लेख किया है । हम समझते हैं कि तहसीलदार के जिस आदेश दिनांक 27.6.2013 की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुआ है, उसके खिलाफ अपीलान्ट की अपील पृथक से सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया है , जिसमें ही पक्षकारान में भूमि के

बंटवारे के संबंध में विवाद का निस्तारण होना है । ऐसी स्थिति में जिस आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुआ वह आदेश जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक प्रश्नगत नामांतरकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं विधिक प्रतीत नहीं होता । प्रश्नगत नामांरतकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील जिला कलक्टर दौसा ने खातेदारान की आपसी सहमति से भूमि के बंटवारे के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण संख्या 469 दिनांक 28.6.2013 को नियमानुसार प्रकिया के अनुसार खोले जाने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.6. 2015 द्वारा खारिज की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.6.2013 यथावत रखा है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर